

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]
No. 123]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2010/श्रावण 14, 1932
DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2010/SHRAVANA 14, 1932

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 109
[N.C.T.D. No. 109

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

सं. फा. 7(1)/99/रा.स्था./एस.आर./पार्ट फाईल/1012
(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री अशोक गुप्ता, एस.डी.ओ. (सिविल लाईन्स) को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7(1)/99/रा.स्था./एस.आर./पार्ट फाईल/1012
(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री अशोक गुप्ता, एस.डी.ओ. (सिविल लाईन्स) को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलेक्टर की सभी शक्तियां जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

3082 DG/2010

सं. फा. 7(1)/99/रा.स्था./एस.आर./पार्ट फाईल/1012
(iii).—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री अशोक गुप्ता, एस.डी.ओ. (सिविल लाईन्स) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलेक्टर की सभी शक्तियां जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. फा. 7(1)/99/रा.स्था./एस.आर./पार्ट फाईल/1012
(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलेक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिए श्री अशोक गुप्ता, एस.डी.ओ. (सिविल लाईन्स) को उस समय तक कलेक्टर के रूप में जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 7(1)/99/रा.स्था./एस.आर./पार्ट फाईल/1012
(v).—दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(1)

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

फा. सं. 1(7)/यूडी/डीयूसआईबी/2010/12257-12270.—
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अमर नाथ, आईएएस (एजीएमयू : 1994) को उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित होने के दिन तक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2010

F. No. 1(7)/UD/DUSIB/2010/12257-12270.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Amar Nath, IAS (AGMU: 1994) as Special Officer to exercise the powers and discharge the functions of the Delhi Urban Shelter Improvement Board until the day on which the first meeting of the Board is held after the commencement of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Pr. Secy.